(49)

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

अधिसूचना

संख्या–15 / डी०एल०ए० नीति–06 / 2003–1234 रा० दिनांक– 15-9-2004

भू–अर्जन अधिनियम, 1894 (समय–समय पर यथा संशोधित) की धारा 55 की उपधारा (1) एवं (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार उक्त अधिनियम के (भाग VII के प्रयोजनार्थ कार्यान्वयन को छोड़कर) प्रावधानों के प्रयोजनार्थ कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाने का प्रस्ताव करती है जिसका पूर्व प्रकाशन उक्त अधिनियम की धारा 55 की उपधारा (2) के अधीन एतद् द्वारा किया जाता है:–

नियमावली का प्रारूप

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं आरंभ।– (1) यह नियमावली बिहार भू–अर्जन नियमावली, 2004 कही जा सकेगी ।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा ।
(3) यह तुरत प्रवृत होगी ।

2. प्रतिकर अधिनिर्णीत करने की शक्ति।– (1) उक्त अधिनियम के अधीन वास्तविक अर्जित भूमि अर्जन के लिए भू–अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 11 के अधीन–
(i) जिला समाहर्त्ता 15 (पन्द्रह) लाख रूपये तक प्रतिकर अधिनिर्णीत कर सकेगा ।
(ii) प्रमंडलीय आयुक्त 15 (पन्द्रह) लाख रूपये से अधिक किन्तु 50 (पचास) लाख रूपये तक प्रतिकर अधिनिर्णीत कर सकेगा ।
(2) प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा 50 (पचास) लाख रूपये से अधिक प्रतिकर अधिनिर्णीत करने की दशा में राज्य सरकार का पूर्वानुमोदन आवश्यक होगा।
(3) वैसे सभी वर्ग के भू–अर्जन मामलों में, जिसमें अर्जित भूमि का बाजार मूल्य प्रति एकड़ 5 (पाँच) लाख रूपये अथवा उससे अधिक विनिश्चित किया जाना हो, राज्य सरकार का पूर्वानुमोदन आवश्यक होगा।

3. प्रतिकर अधिनिर्णीत की राशि का विभाजन:–ऐसे व्यक्तियों के बीच, जिनका हित अर्जित भूमि में निहित हो, प्रतिकर निर्णीत की राशि के विभाजन को जिला–समाहर्त्ता अनुमोदित कर सकेगा।

4. निरसन– राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार द्वारा निर्गत आदेश संख्या– 416 दिनांक– 20 अप्रैल, 1985 एतद् द्वारा निरसित किया जाता है ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

भूमि सुधार आयुक्त
–सह–
आयुक्त एवं सचिव
15/9/04